10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
केम्प जिला भोपाल (म.प्र.)

प्र. क्रं. नि /14

राधेश्याम आत्मत स्व. श्री अमर सिंह
आयु व्यस्क
निवासी– ग्राम मूडला
तहसील हुजूर जिला–भोपाल (म.प्र.) ......आवेदक / अपीलार्थी

विरुद्ध

भावसिंह आत्मज श्री कनीराम
आयू व्यस्क
निवासी ग्राम मूडला
तहसील हुजूर जिला–भोपाल (म.प्र.) ...... अनावेदक / रेस्पोंडेन्टस

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (म.प्र.) भू राजस्व संहिता 1959।

आवेदक की ओर से निगरानी अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार तहसील हुजूर, वृत 4 के राजस्व निरिक्षक जिला भोपाल ग्राम मूडला के सिमांकन प्रकरण क्रमांक 27 / अ -12 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 03 / 07 / 13 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निगरानी धारा 250 के प्रकरण मे नोटिस दिनांक 13 / 06 / 2014 एवं आदेश की सत्य प्रतिलिपी प्राप्त दिनांक 17 / 06 / 2014 से तथा धारा 5 के आवेदन मे वर्णित तथ्यो से निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 –पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3.7.2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3.7.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.6.2014 को 8 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में सीमांकन आदेश की जानकारी दिनांक 13.6.2014 को तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के प्रकरण में उपस्थित पर होना दर्शाया गया है । सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित रहा है, और वह सीमांकन से संतुष्ट नहीं था, इस आशय का उल्लेख सीमांकन पंचनामा में किया गया है । अतः आवेदक को सीमांकन आदेश की जानकारी प्रांरभ से ही थी, इसलिये विलम्ब का कारण सद्भाविक नहीं माना जा सकता है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	26/6/14